	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 03, सोमवार, *शाके* 1946-जून 24, 2024 *Asadha 03, Monday , Saka 1946- June 24, 2024*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।

अधिसूचना

भरतपुर, जून 24, 2024

संख्या टीपीआर/एनसीआर/मास्टर प्लान/ :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत रूपवास (जिला भरतपुर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। रूपवास मास्टर प्लान - 2041 (प्रारूप) के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है:-

राजस्व ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	Name of Revenue Village
1-	कुन्दनवाडा	Kundanwara
2-	सिंघावली	Singhawali
3-	रूपवास	Rupwas
4-	रूंध रूपवास	Rundh Rupwas
5-	भिडयानी	Bhidyani
6-	चैंकोरा	Chekora
7-	जहान नगर	Jahan nagar

रूपवास मास्टर प्लान-2041 (प्रारूप) के संबंध में दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 23.07.2024 तक की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अपनी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, रूपवास अथवा कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को ई-मेल dtpofficebharatpur@gmail.com अथवा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर को ई-मेल ncrsrp@gmail.com प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान (प्रारूप) का उक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका, रूपवास में अवलोकन किया जा सकता है। इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, रूपवास से क्रय किये जा सकते है।

मोहन लाल मीणा,
उप नगर नियोजक,
भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।